



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-26

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 257565 दिनांक 02/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Preeti Choudhary W/o JAI CHAUDHARY	प्रीति चौधरी पत्नी जय चौधरी	55	70.27 SQ. METER	Private	ADINATH ENCLAVE Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना आदिनाथ एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 55 क्षेत्रफल 70.27 व.ग. की लीजडीड दिनांक 02.10.2021 को स्नेहलता अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2023 को स्नेहलता अग्रवाल पत्नी ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा श्याम सुन्दर साहू पुत्र लल्लू लाल साहू को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2023 को श्याम सुन्दर साहू पुत्र लल्लू लाल



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

साहू द्वारा प्रीति चौधरी पत्नी जय चौधरी को कर दिया गया। आवेदिका द्वारा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड का एक से अधिक बार बेचान किया गया है। अतः प्रकरण में आम सूचना का प्रकाशन करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः पत्रावली अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आदेशार्थ प्रस्तुत है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Preeti Choudhary W/o JAI CHAUDHARY को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।